दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **श्रीमती रेनू उढेरनानी बनाम ओम प्रकाश** **दीवानी वाद संख्या 32/2011** **सीआईएस संख्या 44/2014**	अनुपालना टिप्पणी
21-11-2024	अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी पर सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ विवादित सम्पत्ति से सम्बंधित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कर यह जाहिर किया कि विवादित छत का कब्जा वादी को प्राप्त हो गया है और उसके द्वारा छत पर कमरे का निर्माण कार्य करवा लिया है, इससे सम्बंधित फोटोग्राफ्स मय सी.डी व बिल आदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे है, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जावे। अप्रार्थी द्वारा इसका विरोध किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है तथा प्रतिवादी साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू 1 से प्रति परीक्षा जारी है, वादी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को प्रति परीक्षा के दौरान गवाह डी.डब्ल्यू 1 के समक्ष टेण्डर कर प्रदर्शित करवाने हेतु स्वतंत्र है, ऐसी स्थिति में उक्त् प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली वास्ते शेष जिरह डी.डब्ल्यू 1 हेतु दिनांक 27-11-2024 को पेश हो। पत्रावली टार्गेट लिस्ट के 54 वे नम्बर पर स्थित है अतः प्रतिवादी गवाह को आवश्यक रूप से उपस्थित रखे । **(अमर वर्मा)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3, अजमेर**	